न्याय व्यवस्था एवं स्थानीय निर्देशालय

मुरलीधर बनाम प्रेमदेवी वगैरह

प्रक. 265/2021

14.5.22 प्रत्रावली पेश राष्ट्रीय लोक अदालत [illegible]
मे पेश हुई। वकील प्रार्थीपक्ष श्री/ वकील
अप्रार्थीपक्ष द्वारा लोक अदालत की भावना से
प्रेरित होकर वाद को तहसीलदार कमेटी के
प्राप्त कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिक्री किये
जाने बाबत निवेदन किया। तथा अंतिम
डिक्री किये जाने बाबत सहमति प्रकट की।
हमने प्राप्त कुर्रेजात का अवलोकन किया
प्राप्त कुर्रेजात तहसीलदार कमेटी द्वारा पक्षकारों
को विधिवत सूचित कर मौके पर कब्जे
राजस्व रिकार्ड के अनुसार किया प्रकट होने से
एवं उपस्थित पक्षकार की सहमति से स्वीकार
किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाना उचित
प्रतीत होने से प्राप्त कुर्रेजात स्वीकार किया
जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत
निर्णय पृथक से लिखा जाकर पारित प्रत्रावली
किया गया। प्रत्रावली फैसलशुदा होकर
बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत

राष्ट्रीय लोक अदालत

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)
PH-01420-228487 E-Mail: sdo-ban-dau-rj@nic.in

राष्ट्रीय लोक अदालत–2022

प्रकरण संख्या –265 / 2021
प्रकरण निर्णय दिनांक:–14.05.2022

उनवान

1. पूरणमल
2. रामकरण | पुत्रान बसन्तीलाल जाति बैरवा नि. पीचूपाडा खुर्द सोमाडा तह. बसवा

बनाम

1. प्रेमदेवी पत्नि मंगलराम जाति बैरवा निवासी पीचूपाडा खुर्द सोमाडा तह. बसवा जिला दौसा
2. तहसीलदार बसवा तहसील बसवा जरिये लैण्ड होल्डर
3. उप पंजीयक महोदय, उप तहसील बॉदीकुई जिला दौसा

दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 14.05.2022

वादी द्वारा वाद दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम पीचूपाडा खुर्द तह. बसवा जिला दौसा में भूमि खाता सं. नई 186 पुरानी 17 के खसरा नंबर 1475 / 744 रकबा 0.19 हैक्ट, 1477 / 745 रकबा 0.30 हैक्ट., 758 रकबा 0.51 हैक्ट. कुल किता 3 कुल रकबा 1.00 हैक्ट. स्थित है। जो वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 01 की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। वादग्रस्त भूमि का अभी तक विधिवत सरस नरस तकास्मा नहीं हुआ है। पक्षकारान आपस में मनसमाई से बांट कर अपने अपने हिस्सो पर काश्त कर मुफीद होते चले आ रहे हैं। लेकिन भूमि को बोते समय व फसल काटते समय आपस में विवाद हो जाता है। अतः भूमि मुतदाविया का पक्षकारान के मध्य उनके हिस्से अनुसार सरस नरस विधिवत तकास्मा किया जाकर पक्षकारान के हिस्से का अलग चक अलग खाता कायम किया जावे।

वादी वाद दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये सम्मन की गई। वादी एवं प्रतिवादी दिनांक:02.12.2021 को प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021 शिविर–पीचूपाडा खुर्द में उपस्थित आये। उभयपक्ष ने वादग्रस्त आराजी का सहमती से बॅटवारा करने पर सहमती प्रकट कर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। हमने उभयपक्ष को सुना, प्रस्तुत दस्तावेजातों का अवलोकन किया, उभयपक्ष द्वारा तकास्मा कराने हेतु सहमती प्रकट की गई। जिससे वादीगण वाद तकास्मा स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी कर तहसीलदार बसवा को बरूये राजस्व रिकार्ड के पक्षकारान के मध्य उनकी उपस्थिति में मौका विभाजन सरस–नरस, कब्जा, रास्ते आदि की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बरंग सुर्ख नक्शा ट्रेस के भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार बसवा के पत्र कमांक:3582 दिनांक:11.03.2022 द्वारा कुरैजात प्रस्ताव प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये। प्राप्त कुरैजात का उभयपक्षकारान द्वारा अवलोकन किया गया एवं प्राप्त कुरैजात अनुसार वाद को अंतिम डिकी किये जाने बाबत सहमति प्रकट की एवं वादी वाद दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा राष्ट्रीय लोक अदालत में कुरैजात अनुसार अंतिम डिकी किये जाने का निवेदन किया। हमने प्राप्त कुरैजात का अवलोकन किया। प्राप्त कुरैजात तहसीलदार बसवा द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूपे राजस्व रिकार्ड के बनाया जाना प्रकट होने एवं उपस्थित पक्षकार की सहमति से

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत

Scanned with OKEN Scanner